PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Thursday 8th October 2015, Page: 7
Width: 12.56 cms, Height: 16.25 cms, a4, Ref: pmin.2015-10-08.41.82

'डेंजरस है ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग'

ऐसे में प्रतिबंधित दवाएं भी धड़ल्ले से बिकने लगेंगी

Rahul.Anand@timesgroup.com

नई दिल्ली : इन शॉपिंग का ट्रेंड भले ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग मुश्किल है। देश भर में ऑनलाइन मेडिसिन खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयास को झटका लगा है, क्योंकि न तो डॉक्टर कम्युनिटी इसके फेवर में है और न ही केमिस्ट असोसिएशन इसे सही ठहरा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोग ऐसे भी ड्रग खरीद लेंगे, जो बिना प्रिसक्रिप्शन के नहीं बेचे जा सकते हैं और इसका मिसयूज होने का खतरा और बढ़ जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि विदेशों में भी यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है।

ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के महासचिव जॉयदीप सरकार ने कहा कि ई-फार्मेसी का कॉन्स्पेट विदेशों से लिया गया है। गिनती के आठ-दस देशों में यह चल रहा है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में ज्यादा है। उन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, वहां पर फार्मासिस्ट की संख्या पर्याप्त हैं, वहां पर ज्यादातर ऑनलाइन में ओवर द काउंटर वाली मेडिसिन ज्यादा बिकती है। इसके बाद भी यह वहां पूरी तरह से सफल नहीं है। केवल अमेरिका में साल 2013 में 1150 ई-फॉर्मेसी बंद हो चुकी है।

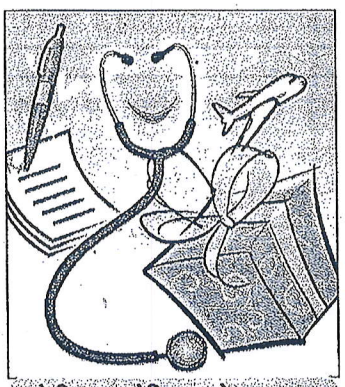

केमिस्ट असोसिएशन के अनुसार केवल आठ-दस देशों में ऑनलाइन मेडिसिन शॉपिंग होती है

ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत प्रिसक्रिप्शन को लेकर है। मरीज कैसे अपना रिक्वेस्ट भेजेगा और फार्मेसी कैसे प्रिसक्रिप्शन को सही जानकार मेडिसिन देगा। अगर किसी का प्रिसक्रिप्शन 5 तारीख को लिखा गया है और 15 दिन की दवा की सलाह दी गई है, तो 21 तारीख को यह प्रिसक्रिप्शन मान्य नहीं होगा। ऐसे में मरीज को दुबारा डॉक्टर के पास जाना होता है, लेकिन यह ई फार्मेसी में कैसे संभव है?

जॉयदीप सरकार ने कहा कि सच तो यह है कि हमारे देश में ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर की भारी कमी है। ऐसे में ई फार्मेसी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सरकार ने सभी केमिस्ट असोसिएशन को लेटर भेजा है और उनकी राय मांगी है। हमारी राय तो यही है कि प्रिसक्रिप्शन स्कैन करके भेजने पर कौन फैसला करेगा कि यह सही है या गलत। इससे ऐसी दवा भी लोग खरीद लेंगे, जो प्रतिबंधित है। सबसे जरूरी बात यह है कि अर्बन एरिया में तो दवाएं पहले से मिल रही हैं, ज्यादा दुकानें भी हैं। लेकिन रूरल एरिया में ई फार्मेसी की जरुरत ज्यादा है। लेकिन वहां यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि न तो इंटरनेट की सुविधा है और न ही लोगों को अभी इस तरह की सुविधा के बारे में जानकारी है। इसके अलावा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित देशों की तरह नहीं है, इसलिए और भी संभव नहीं है। इस बारे में इंडियन मेडिकल असोसिएशन के महासचिव डॉ. के. के. अग्रवाल ने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने आईएमए से भी राय मांगी थी और हमने साफ कहा है कि यह गलत है। इस सिस्टम से शेड्यूल एच ड्रग्स यानी ऐसी दवा जो बिना प्रिसक्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती है, वह दवा भी धड़ल्ले से बिकेगी।